विचार बिन्दु

जीवन एक फूल है और प्रेम उसका मधु। –ह्यूगो

डिजिटल युग में लुप्त हो रहा कागज पर हाथ से लिखना

आज के डिजिटल युग में, जहां टेक्नोलॉजी और कंप्यूटर हमारे जीवन के हर पहलू में पसर गये हैं, वहां हाथ से लिखने की महत्वपूर्ण कला – कलम से कागज पर सुंदर अक्षरों में लिखना – भी लुप्त होती जा रही है। हस्तलेखन –हैंड राइटिंग– की कला ने इतिहास में मानव का सोच और व्यक्तित्व बनाने तथा संस्कृति के प्रवाह में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। लेकिन, डिजिटल उपकरणों और स्मार्टफोन के बढ़ते उपयोग के कारण, हाथ से लिखना धीरे-धीरे खत्म होता जा रहा है। कागज़– कलम से लिखना जीवन का केवल एक उपयोगी पक्ष नहीं था, बल्कि यह एक कला और व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति का माध्यम भी था। पुराने समय में हाथ से लिखे पत्रों, किताबों और दस्तावेजों के माध्यम से ही ज्ञान का संचार संभव हुआ। हाथ से लिख कर व्यक्त किये गये विचारों में एक व्यक्तिगत छाप होती है, जो कंप्यूटर टाइपिंग के मुकाबले अधिक गहरी और भावनात्मक होती है। हाथ से लिखते हुए हमारे सोचने की प्रक्रिया उत्तेजित होती है। हाथ से लिखते हुए हम शब्दों को गहरे से समझते हैं और विचारों को स्पष्ट तरीके से व्यवस्थित करते हैं। यह हमारी रचनात्मकता और मानसिक विकास में सहायक होता है। कई शोधों से यह भी सिद्ध हुआ है कि हाथ से लिखते समय मस्तिष्क के विभिन्न हिस्से सक्रिय होते हैं जो कि टाइपिंग के दौरान नहीं हो पाते हैं। हालांकि डिजिटल तकनीक के प्रसार के कारण स्मार्टफोन, टैबलेट और कंप्यूटर जैसे उपकरणों ने बहुत सारे कामों को तेज गति से करने और उन्हें सुविधाजनक बनाने की क्षमता जरूर प्रदान की है। अब इन उपकरणों का उपयोग संवाद, लेखन, शैक्षिक कार्य और मनोरंजन के लिए खूब होने लगा है। इसकी वजह से हाथ से लिखने की जरूरत कम हो चली है। आधुनिक जीवन की भागदौड़ और समय की कमी ने लोगों को जल्दी और प्रभावी तरीके से काम करने के लिए प्रेरित किया है। टाइपिंग की गति और प्रभावशीलता हाथ से लिखने के प्रचलन को धीरे-धीरे अप्रचलित बना रही है। अब तो बोलें और टाइप हो जाता है। शैक्षिक जगत में बदलाव के चलते कई स्कूलों और कॉलेजों में भी अब कंप्यूटर और लैपटॉप के उपयोग को प्राथमिकता दी जाने लगी है। जहां पहले छात्रों को हाथ से लिखने और उनके सुलेख पर जोर दिया जाता था, अब डिजिटल माध्यमों से ही कार्य पूरे किए जाते हैं। कंप्यूटर टाइपिंग में हर शब्द और वाक्य समान आकार और रूप में होते हैं, जबकि हाथ से लिखे में वे अक्सर भिन्न होते हैं। इससे भी हस्तलेखन की ओर आकर्षण कम हो रहा है, क्योंकि लोग अधिक व्यवस्थित और साफ-सुथरे रूप में काम करना पसंद करते हैं। लेकिन हम यह नहीं भूल सकते कि हस्तलेखन एक मानसिक अभ्यास रहा है। यह न केवल हमारी रचनात्मकता को बढ़ाता है, बल्कि मानसिक स्वास्थ्य पर भी सकारात्मक प्रभाव डालता है। वैज्ञानिक कहते हैं कि जब हम हाथ से लिखते हैं, तो हमारे मस्तिष्क में एक मजबूत कनेक्शन बनता है, जो हमारे विचारों को बेहतर तरीके से सहेजने और याद रखने में मदद करता है। यह बच्चों के लिए विशेष रूप से फायदेमंद होता है, क्योंकि इससे उनका ध्यान पाठ पर केंद्रित रहता है और उनका मानसिक विकास बेहतर होता है। हस्तलेखन प्रत्येक व्यक्ति का व्यक्तिगत हस्ताक्षर भी होता है जो उसके सोचने और लिखने के तरीके को दर्शाता है, जो कंप्यूटर टाइपिंग में नहीं हो सकता। हालांकि लिपि की कला, कैलिग्राफी, आज भी लोगों के बीच लोकप्रिय है और जिसके माध्यम से कलाकार अपनी कला और रचनात्मकता को व्यक्त करते हैं।

भले ही हम आज डिजिटल युग में जी रहे हैं, जहां हर कार्य टेक्नोलॉजी के माध्यम से किया जा रहा है, जिसमें लिखना भी शामिल है। लेकिन हस्तलेखन की कला को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। यह न केवल हमारी संस्कृति का हिस्सा रही है, बल्कि मानसिक विकास और रचनात्मकता के लिए भी महत्वपूर्ण है। इस धरोहर को संरक्षित रखने की आवश्यकता है, खासकर बच्चों और युवाओं को इस कला का अभ्यास जारी रखने के लिए प्रेरित करते रहना जरूरी है। शिक्षा जगत के लोग मानते हैं कि डिजिटल दुनिया में एक संतुलन बनाए रखते हुए हस्तलेखन की कला को प्रोत्साहित करना एक बेहतर कदम होगा क्योंकि कलम से कागज पर हाथ से लिखने के बजाय अब लोग कलम उठाने की जहमत नहीं उठाते हैं और उसकी जगह टाइप करने या स्वाइप करने के लिए अपने हाथों का उपयोग अधिक करते हैं। ऐसे में कुछ लोग यह सवाल कर रहे हैं कि क्या हम अपने संज्ञानात्मक कौशल, संवेदी अनुभव, और सबसे बढ़ कर इतिहास से जुड़ाव को खोने जा रहे हैं? अब तो किसी सेलिब्रिटी से भी कागज पर ऑटोग्राफ मांगने के बजाय उसके साथ सेल्फी मांगी जाने लगी है। हममें से बहुत कम लोग अपने विचारों को लिखने, मित्रों से पत्र-व्यवहार करने, और यहां तक कि किराने का सामान खरीदने के लिए सूची बनाने के लिए, कलम उठाते हुए मिलते हैं।

हमें यह नहीं भूल चाहिए कि हस्तलेखन एक मानसिक अभ्यास रहा है। यह न केवल हमारी रचनात्मकता को बढ़ाता है, बल्कि मानसिक स्वास्थ्य पर भी सकारात्मक प्रभाव डालता है। वैज्ञानिक कहते हैं कि जब हम हाथ से लिखते हैं, तो हमारे मस्तिष्क में एक मजबूत कनेक्शन बनता है, जो हमारे विचारों को बेहतर तरीके से सहेजने और याद रखने में मदद करता है।

डिजिटल दुनिया में हस्तलेखन एक व्यावहारिक कौशल के रूप में बेकार लगने लगा है। धीरे-धीरे ख़राब होते इस कौशल से हो रहे नुकसान पर किसी का ध्यान नहीं जाता। जब कभी हाथ से कुछ लिखने का काम पड़ता है तो अनेक लोग कागज़ पर कलम चलाने में खुद को असमंजस में पाते हैं। किसी ने मजाक में कहा कि कुछ लोग अब भी कभी-कभी हाथ से लिखते हैं जैसे जब वे चैक काटते हैं। डिजिटल तकनीक ने तो चैक काटने को भी निरर्थक कर दिया है, क्योंकि बैंकों का लेनदेन ऑन-लाइन हो गया है। या अब शायद केवल शिक्षक ही रह गये हैं जो बोर्ड पर हाथ से लिखते हैं। वहां भी स्मार्ट बोर्ड आ गये हैं। जब लिखावट गायब हो जाती है तो हम कुछ खो देते हैं। जानकार कहते हैं कि इससे हम मापने योग्य संज्ञानात्मक कौशल ही नहीं खोते हैं, बल्कि अपने हाथों और लेखन उपकरण का उपयोग करने की खुशी को भी खो देते हैं। हम स्याही और कागज के संवेदी अनुभव और हस्तलिखित शब्द के दृश्य आनंद को भी खो देते हैं। हम टाइप या स्वाइप करते हुए अपने हाथों का जरूर उपयोग करते हुए संवाद तो खूब करते हैं, लेकिन कम शारीरिक प्रयास के साथ। हम अपने उस विशाल इतिहास को भूल जाते हैं जिसने हमें अपनी दुनिया को समझने के साधन के रूप में शारीरिक गति और अभिव्यक्ति के लिए लेखन के जरिए उपयुक्त बनाया।

लिखावट में स्पष्टता केवल संचार में ही सहायक नहीं होती है। हाथ से लिखना, किसी अक्षर को ट्रेस करने या टाइप करने के जैसा नहीं होता बल्कि उसके उलट होता है। यह मस्तिष्क को पढ़ना सीखने के लिए तैयार करता है। छात्रों की सीखने की प्रक्रिया पर लैपटॉप के उपयोग का कैसा असर होता है इसका विशेषज्ञों ने अध्ययन किया है। उन्होंने पाया कि यदि लैपटॉप का उपयोग केवल नोट्स लेने के लिए ही किया जाता है, तब भी छात्रों का सीखना बाधित हो सकता हैं, क्योंकि उनके उपयोग में उथली प्रक्रिया होती है। तीन प्रयोगों के जरिए अनुसंधानकर्ताओं ने निष्कर्ष निकाला कि लैपटॉप कंप्यूटर का उपयोग करने वाले छात्रों ने हाथ से नोट्स लेने वाले छात्रों की तुलना में वैचारिक प्रश्नों पर खराब प्रदर्शन किया। उनका कहना है कि लैपटॉप से नोट लेने वालों की व्याख्यान को शब्दशः लिखने की प्रवृत्ति होती है, न कि सूचना को संसाधित करने और इसे अपने शब्दों में फिर से तैयार करने की। इससे सीखने की हानि होती है। दूसरे शब्दों में, जब हम हाथ से लिखते हैं तो हम जानकारी को बेहतर तरीके से याद रखते हैं, क्योंकि लिखने की धीमी गति हमें संक्षेप में लिखने के लिए बाध्य करती है, जबकि की-बोर्ड पर लिखने की गति अधिक होती है। एक बार मशहूर गायक बॉब डायलन के प्रशंसक तब खूब नाराज हुए जब उन्हें पता चला कि उनकी महंगी पुस्तक, 'द फिलॉसफी ऑफ मॉडर्न सॉन्ग', के साथ जो आधिकारिक प्रमाण पत्र आया था कि यह पुस्तक डायलन द्वारा व्यक्तिगत रूप से हस्ताक्षिरत है, वह वास्तव में ऑटोपेन के उपयोग का कमाल था। डायलन ने बाद में अपने फेसबुक पेज पर एक बयान जारी करने का असामान्य कदम उठाया और स्पष्टीकरण दिया। डायलन ने लिखा, "ऑटोपेन का उपयोग करने का विचार मुझे सुझाया गया था, साथ ही यह आश्वासन भी दिया गया था कि इस तरह की चीजें कला और साहित्य की दुनिया में हर समय की जाती हैं।" उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि खुद सभी दस्तखत करने के बजाय मशीन का उपयोग करना मेरे निर्णय में त्रुटि थी और मैं इसे तुरंत सुधारना चाहता हूं। मुझे प्रत्येक प्रति पर अपने हाथ से हस्ताक्षर करने चाहिये थे। यह दृष्टांत मशीन द्वारा बनाए गए हस्ताक्षरों के बारे में हमारी भावनाएं स्पष्ट करता है। अभिलेखीय शोध तो हर काल में हस्तलिखित शब्द को समझने की चुनौतियों से ही भरा रहा है। हम लंबे समय से विगत के विषयों को उनकी लिखावट की विचित्रताओं के माध्यम से जानते आये हैं। हैंड राइटिंग विशेषज्ञों के अनुसार एक व्यक्ति जब भावनात्मक आवेश में लिखता है, तब उसकी लिपि मकड़ी जैसी और छोटी हो जाती है। जबकि दूसरे के सुंदर पृष्ठ मध्ययुगीन भिक्षु के परिश्रम जैसा प्रदर्शन करते हैं। सुलेखक बर्नार्ड मैसनर का तर्क है कि–"सुलेख, और अधिक व्यापक रूप से हस्तलेखन," किसी चीज़ को बार-बार पुनः प्रस्तुत करने के लिए नहीं है। इसका उद्देश्य मानवता, प्रतिक्रियाशीलता और विविधता को दिखाना है।

–अतिथि संपादक,
राजेन्द्र बोड़ा
(वरिष्ठ पत्रकार एवं विश्लेषक)

वीबी-जी राम जी अधिनियम-2025 ग्रामीण भारत के समग्र विकास की नई दिशा

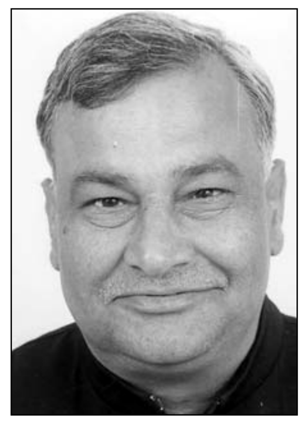

डॉ. किरोड़ी लाल मीणा

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की पहल पर संसद द्वारा पारित 'विकसित भारत-गारंटी फॉर रोजगार एवं आजीविका मिशन (ग्रामीण) अधिनियम, 2025' (वीबी-जी राम जी) ने ग्रामीण भारत के समग्र विकास की एक नई दिशा प्रस्तुत की है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) ने गत 2 दशकों में ग्रामीण अर्थव्यवस्था को एक न्यूनतम सुरक्षा जाल प्रदान किया। बदलते समय, जलवायु चुनौतियों, तकनीकी प्रगति और 2047 के 'विकसित भारत' के लक्ष्य के अनुरूप बनाने की दृष्टि से "वीबी - जी राम जी अधिनियम 2025" लागू किया गया है।

राजस्थान जैसे भौगोलिक और जलवायु की दृष्टि से चुनौतीपूर्ण राज्य के लिए यह अधिनियम ग्रामीण सशक्तिकरण की दृष्टि से अत्यंत उपयोगी है। मानसून की अनिश्चितता, सूखा संभावित क्षेत्र, मौसमी बेरोजगारी और कृषि-श्रम प्रबंधन की जटिलताएं आदि के बीच यह नया अधिनियम ग्रामीण आजीविका को अधिक संतुलित, परिणाम-उन्मुख और तकनीक-समर्थ बनाता है।

पूर्व में लागू मनरेगा का फोकस मुख्यतः 'काम उपलब्ध कराने' तक सीमित था। इसके विपरीत, "वीबी-जी राम जी" रोजगार को गांव के समग्र विकास और 2047 के विकसित भारत के लक्ष्यों से जोड़ता है। रोजगार गारंटी को 100 दिनों से बढ़ाकर 125 दिन करना ग्रामीण परिवारों की आय स्थिरता और उपभोग सुरक्षा को मजबूत करने का संकेत है। साथ ही, मांग आधारित प्रकृति को बनाए रखते हुए केंद्र द्वारा सुनिश्चित निधि आवंटन और राज्यों की सहभागिता इस योजना को अधिक उत्तरदायी बनाती है।

राजस्थान में वर्षों से यह समस्या रही है कि बुवाई-कटाई जैसे व्यस्त कृषि मौसमों में भी सरकारी कार्य चलते रहने से किसानों को मजदूरों की कमी और लागत वृद्धि का सामना करना पड़ता था। "वीबी-जी राम जी" की धारा 7(4) ने इस समस्या का बेहतरीन समाधान प्रस्तुत किया है। राज्य सरकारों को मुख्य कृषि मौसम के दौरान सालाना 60 दिनों का 'कार्य-विराम' घोषित करने का अधिकार दिया गया है। यह विराम श्रमिकों के अधिकारों में कटौती नहीं करता; बल्कि वार्षिक रोजगार गारंटी 125 दिन होने से श्रमिकों की कुल आय संभावना बढ़ेगी और इससे किसान-मजदूर संबंध प्रतिस्पर्धी नहीं, बल्कि पूरक बनेंगे।

राजस्थान में मनरेगा के क्रियान्वन में 'कच्चे-पक्के' कार्यों, फर्जी मस्टर रोल और बिचौलियों की शिकायतें लंबे समय तक सुर्खियां बनती रहीं हैं। इसके लिए राजस्थान में मनरेगा के अन्तर्गत दर्ज श्रमिक उपस्थिति की जांच एनएमएमएस पोर्टल के माध्यम से करने से वित्तीय वर्ष 2024-25 के अंतिम 6 माह में 1209 करोड़ रूपये व वित्तीय वर्ष 2025-26 में माह दिसम्बर तक 1855 करोड़ रूपये की राजकीय राशि की छीजत को रोककर बचत की गई है। "वीबी-जी राम जी" योजना लागू होने के बाद तकनीक आधारित निगरानी से राजकीय राशि की बचत का सहज ही अनुमान लगाया जा सकता है।

डिजिटल आर्किटेक्चर को कानून का अनिवार्य हिस्सा बनाकर नये अधिनियम में इन संभावनाओं को सीमित किया है। बायोमेट्रिक उपस्थिति, जियो-टैगिंग, लाइव डैशबोर्ड, साप्ताहिक सार्वजनिक अपडेट और धोखाधड़ी नियंत्रण उपकरण आदि ने मिलकर इसे पारदर्शी बना दिया है। पहले ही जन-सूचना पोर्टलों के माध्यम से पारदर्शिता की दिशा में कदम बढ़ाने वाले राजस्थान में अब तकनीक आधारित निगरानी से फर्जी लाभार्थियों पर निर्णायक अंकुश लग सकेगा।

ग्रामीण श्रमिकों को समय पर भुगतान करने के लिये नये अधिनियम में साप्ताहिक भुगतान और किसी भी परिस्थिति में 14 दिनों से अधिक देरी नहीं होना सुनिश्चित किया गया। देरी की स्थिति में स्वतः मुआवजे का प्रावधान वित्तीय अनुशासन को सुनिश्चित करता है। यह व्यवस्था राजस्थान के उन लाखों श्रमिकों के लिए राहत है जिनकी दैनिक जरूरतें समय पर भुगतान पर निर्भर रहती हैं।

मनरेगा की एक बड़ी आलोचना यह थी कि कई कार्य स्थायी महत्व के नहीं होते थे। "वीबी-जी राम जी" ने कार्यों को चार स्पष्ट श्रेणियों- जल सुरक्षा, ग्रामीण बुनियादी ढांचा, आजीविका व संपत्तियां और आपदा तैयारी में वर्गीकृत कर 'परिणाम' को केंद्र में रखा है। पश्चिमी राजस्थान में टांका निर्माण, वर्षा जल संचयन और जोहड़ पुनरुद्धार से जल सुरक्षा को नई ऊर्जा मिलेगी। गांवों को सड़कों और बाजारों से जोड़ने वाला टिकाऊ ढांचा, स्वयं सहायता समूहों के लिए संसाधन केंद्र और भंडारण, तथा बाढ़ व सूखा प्रबंधन के स्थायी उपाय आदि कार्य ग्रामीण अर्थव्यवस्था की उत्पादकता बढ़ाएंगे। 'पीएम गति-शक्ति' के साथ एकीकरण से स्थानीय परिसंपत्तियां राष्ट्रीय विकास में महत्त्वपूर्ण योगदान दे सकेगी।

केंद्र राज्य लागत साझेदारी का 60:40 मॉडल राज्यों को अधिक जिम्मेदार बनायेगा। प्रशासनिक व्यय-सीमा को 6 प्रतिशत से बढ़ाकर 9 प्रतिशत करने से तकनीकी विशेषज्ञता, प्रशिक्षण, निगरानी और पारिश्रमिक को सुदृढ़ करने का अवसर प्राप्त होगा। राजस्थान जैसे बड़े भौगोलिक क्षेत्र वाले राज्य में यह प्रशासनिक क्षमता विस्तार का महत्वपूर्ण कदम है।

इस अधिनियम में हर छह महीने में अनिवार्य सोशल ऑडिट, डिजिटल साक्ष्यों की सार्वजनिक उपलब्धता, कार्यस्थलों पर डिस्प्ले बोर्ड और जिला स्तरीय लोकपाल प्रावधान ने इस योजना को जन केंद्रित बनाया हैं। शिकायत निवारण के लिए निश्चित समय सीमाएं और बहु स्तरीय डिजिटल प्रणाली, भ्रष्टाचार मुक्त क्रियान्वयन की दिशा में विश्वास जगाती हैं।

यह अधिनियम रोजगार, तकनीक और जवाबदेही का संगम है। इसमें अधिकार सुनिश्चित करने के लिए तकनीक को माध्यम बनाया है। 125 दिनों का काम, कृषि मौसम के अनुरूप श्रम प्रबंधन, समय पर भुगतान और स्थायी परिसंपत्तियों का निर्माण जैसे प्रावधान ग्रामीण राजस्थान को आत्मनिर्भर बनाने की क्षमता रखते हैं। 'सबका साथ, सबका विकास और सबका प्रयास' के दृष्टिकोण को मूर्त रूप देता यह अधिनियम अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक लाभ पहुंचायेगा। 'विकसित भारत-गारंटी फॉर रोजगार एवं आजीविका मिशन (ग्रामीण) 2025' एक सामाजिक-आर्थिक संकल्प है। इसके प्रभावी क्रियान्वयन से राजस्थान के गांवों में विकास और समृद्धि का नया सूर्योदय होगा।

- डॉ. किरोड़ी लाल मीणा,
कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्री

पर्यावरण, सड़क सुरक्षा तथा रोजगार बढ़ाने की दृष्टि से महत्वपूर्ण है भजनलाल सरकार की राजस्थान वाहन स्क्रैपिंग नीति-2025

ईंधन दक्षता बढ़ने, मेंटीनेंस कॉस्ट घटने और नए वाहन खरीद पर इंसेंटिव मिलने से दोहरे लाभ में रहेगा वाहन स्वामी

वॉलंटरी व्हीकल फ्लीट मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम को राज्य में मिलगी नई ऊर्जा

अमृता कटारा

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में गत 30 दिसम्बर को आयोजित मंत्रिमण्डल की बैठक में प्रदेश में पर्यावरण सुरक्षा, हरित एवं टिकाऊ विकास को प्रोत्साहन देने, सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देने, ऑटो सेक्टर ग्रोथ और रोजगार संवर्धन के लिए अपंजीकृत, अनफिट और कबाड़ वाहनों की स्क्रैपिंग के लिए लाई गई राजस्थान वाहन स्क्रैपिंग नीति-2025 राजपत्र में 2 जनवरी को प्रकाशित होने के साथ ही लागू हो गई है। यह नीति प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा 13 अगस्त, 2021 को लॉन्च किए गए वॉलंटरी व्हीकल फ्लीट मॉडनाइजेशन प्रोग्राम तथा प्रधानमंत्री जी के वर्ष 2070 तक नेट जीरो ऊत्सर्जन लक्ष्य को राज्य में नई ऊर्जा देगी। राज्य ग्रीन बजट 2025-26 में योजना व्यय का 11.34 प्रतिशत पर्यावरण को समर्पित है, राज्य को वर्ष 2030 तक 350 बिलियन डॉलर इकोनॉमी बनाने का लक्ष्य है। इस सबको देखते हुए यह नीति अति महत्वपूर्ण साबित होने जा रही है।

वैज्ञानिक, सुरक्षित एवं पर्यावरणीय मानकों के अनुरूप स्क्रैप होंगे वाहन-

बजट वर्ष 2025-26 की घोषणा की अनुपालना में लाई गई राजस्थान वाहन स्क्रैपिंग नीति-2025 प्रदेश में सड़क पर चलने में अयोग्य एवं प्रदूषणकारी वाहनों को चरणबद्ध रूप से हटाकर उनके वैज्ञानिक, सुरक्षित एवं पर्यावरणीय मानकों के अनुरूप निपटान करने के उद्देश्य से लागू की गई है। इस नीति के अंतर्गत राज्य में रजिस्टर्ड व्हीकल स्क्रैपिंग फैसिलिटीज (आरवीएसएफ) की स्थापना को बढ़ावा दिया जाएगा, जिनके माध्यम से वाहनों की स्क्रैपिंग पूरी तरह पारदर्शी, डिजिटल और ट्रेसेबल होगी। सभी स्क्रैपिंग प्रक्रियाएं राष्ट्रीय परिवहन डिजिटल रजिस्ट्री पोर्टल 'वाहन' से एकीकृत होंगी, जिससे स्क्रैप योग्य वाहनों के अनाधिकृत उपयोग की संभावना समाप्त होगी। केन्द्रीय परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा जारी आंकडों के अनुसार बीएस 6 मानक वाले 14 ट्रक/बस/ट्रेलर प्री बीएस मानक वाले 1 ही ट्रक/बस/ट्रेलर तथा बीएस 6 मानक वाली 11 कार प्री बीएस मानक वाली 1 कार के बराबर प्रदूषण के लिए जिम्मेदार है। 1 अप्रेल, 2020 से बेचे जा रहे सभी वाहनों के लिए पूरे देश में बीएस 6 मानक लागू हैं लेकिन राज्य के आमजन विशेषकर बच्चों, वृद्धों और बीमार व्यक्तियों को जानलेवा प्रदूषण से बचाने के लिए खटारा और अनफिट वाहनों को सड़क से हटाने के लिए विशिष्ट पहल की आवश्यकता थी जो इस नई नीति से पूरी हुई है।

वाहन स्वामी को मिलेगी बेहतर सड़क सुरक्षा और आर्थिक प्रोत्साहन-

पुराने और कबाड़ वाहन से छुटकारा पाकर वाहन स्वामी ईंधन दक्षता में वृद्धि, मेंटीनेंस कॉस्ट में कमी से दोहरे लाभ में रहेगा। उसे राजस्थान में अधिकृत वाहन डीलर से नया वाहन खरीदने पर मोटर वाहन टैक्स में 50 प्रतिशत तक (अधिकतम एक लाख रूपए) छूट मिलेगी।

15 वर्ष से अधिक पुराने सरकारी वाहन, फिटनेस/पंजीकरण रहित वाहन, दुर्घटनाग्रस्त, क्षतिग्रस्त वाहन, नीलामी में खरीदे गए कबाड़ वाहन, अनुपयोगी वाहन या स्वेच्छा से आरवीएसएफ को दिए गए वाहन इस नीति के अंतर्गत स्क्रैप किए जा सकेंगे। अधिकृत स्क्रैप सेंटर से वाहन स्वामी को सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट (सीओडी) और सर्टिफिकेट ऑफ व्हीकल स्क्रैपिंग (सीवीएस) जारी किए जाएंगे। साथ ही, वाहन पोर्टल पर भी डिजिटल रूप में अपलोड किए जाएंगे।

रजिस्टर्ड स्क्रैपर स्क्रैप किए गए वाहन के चैसिस नम्बर के कट पीस को सीवीएस जारी होने की तारीख से 6 माह तक सेफ कस्टडी में रखेंगे। इसके बाद वे इसे जिला परिवहन अधिकारी को जमा करेंगे, जहां इसे 18 माह तक सेफ कस्टडी में रखा जाएगा। राजस्थान में पंजीकृत वाहन का अनिवार्य रूप से आरवीएसएफ में निपटान किया जाएगा। राज्य में स्थित आरवीएसएफ में देश में कहीं भी पंजीकृत वाहन का निपटान किया जा सकता है।

उद्योगों को मिलेगा बढ़ावा, रोजगार संवर्धन को लगेंगे पंख -

राजस्थान वाहन स्क्रैपिंग नीति-2025 के माध्यम से सर्कुलर इकोनॉमी को मजबूती मिलेगी। केन्द्र सरकार के आंकडों के अनुसार राज्य में बिना फिटनेस व रजिस्ट्रेशन वाले 6 लाख वाहन हैं। इनमें से ज्यादातर सड़कों पर भी नहीं आते। इनके स्क्रैपिंग से प्राप्त स्टील, एल्युमिनियम, प्लास्टिक, रबर व अन्य सामग्री का पुनः उपयोग संभव होगा, जिससे ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक, स्टील एवं मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को सस्ती कच्ची सामग्री उपलब्ध होगी। रीको न्यूनतम 10 एकड क्षेत्र में इंडस्ट्रियल क्लस्टर इको पार्क के रूप में विकसित करवाएगा, इन्हें लैंड यूज में छूट मिलेंगी। इको पार्क में विभिन्न ईकाईयों का साझा आधारभूत ढ़ांचा और प्लग एंड प्ले मॉड्यूल राज्य के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभायेगा। ईको पार्क स्थापना में लैंड यूज सम्बंधी विभिन्न प्रकार रियायते मिलेंगी। राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना-2024 के सुसंगत रिसाईकल्ड मैटेरियल उपयोग करने वाली ईकाइयों को राजस्व और गैर राजस्व प्रोत्साहन दिये जायेंगे। आरवीएसएफ राज्य के किसी भी रजिस्टर्ड स्क्रेपर को कलेक्शन सेंटर घोषित कर सकती है।

राज्य में 120 से ज्यादा ऑटोमेटिव व ऑटो कम्पोनेंट निर्माण यूनिट संचालित हैं जिनमें होंडा, अशोक लीलेंड और हीरो मोटर कॉर्प जैसे बड़े प्लेयर्स शामिल हैं। इन इकाईयों को रॉ मेटेरियल आसानी से और प्रतिस्पर्धी दर पर उपलब्ध होगा जिससे ये अपनी क्षमता विस्तार कर राज्य के औद्योगिक और रोजगार क्षेत्र को नई दिशा देने में सक्षम होंगी। पॉलिसी से अनौपचारिक और असंगठित स्क्रैप उद्योग को आधिकारिक दर्जा मिलेगा, बेहतर निगरानी और संगठित होने से यह उद्योग राज्य की अर्थव्यवस्था को गति देने में अपनी महत्वपूर्ण भिूमका निभा पाएगा, राज्य और केन्द्र सरकार के विभिन्न इंसेंटिव प्राप्त कर पाने में सक्षम होगा। स्क्रैपिंग व रिसाईकल की बढ़ती जरूरतों को पूरा करने के लिए स्किल डवलपमेंट संस्थानों की आवश्यकता होगी जिससे रोजगार के क्षेत्र में नया आयाम जुड़ेगा।

पंजीकृत स्क्रैपिंग यूनिट्स के लिए मिलेंगी विशेष रियायतें-

स्क्रैपिंग नीति में निवेश को आकर्षित करने हेतु पंजीकृत स्क्रैपिंग यूनिट्स के लिए विशेष प्रोत्साहन दिए गए हैं, जिनमें प्रारंभिक 20 इकाइयों को पूंजी निवेश पर 25 प्रतिशत इंसेंटिव (अधिकतम 20 लाख रू.) निवेश सब्सिडी पर 5 साल के लिए 50 प्रतिशत स्टेट टैक्स की छूट, ब्याज दर में 5 वर्ष तक छूट मिलेगी। 5 करोड़ रूपये तक, 5 से 10 करोड रूपये तक, 10 से 50 करोड रूपये पर क्रमशः 6, 4 और 3 प्रतिशत ब्याज दर छूट का प्रावधान है। साथ ही, रिसाइक्लिंग एवं स्क्रैपिंग से जुड़े स्टार्टअप्स को राजस्थान स्टार्टअप पॉलिसी के अंतर्गत समर्थन देने का प्रावधान किया गया है। इसके अतिरिक्त 5 साल के लिए 50 प्रतिशत स्टेट टैक्स की छूट भी दी जाएगी।

मुख्य सचिव की अध्यक्षता में स्टीयरिंग कमेटी गठित-

पॉलिसी के प्रभावी क्रियान्वयन और निगरानी के लिए मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास की अध्यक्षता में स्टीयरिंग कमेटी गठित की गई है जो स्थायी समिति का भी कार्य करेगी। परिवहन विभाग को नोडल ऐजेंसी बनाया गया है।

–अमृता कटारा,
एपीआरओ, डीआईपीआर

बेटे-बहू ने दिवंगत मां का नेत्रदान-देहदान किया

कोटा, (निसं)। शाइन इंडिया फाउंडेशन के नेत्रदान, अंगदान, देहदान जागरुकता अभियान से प्रेरित होकर अब शहर में देहदान करने वालों की संख्या बढ़ने लगी है। संस्था के प्रयासों से हाड़ोती संभाग के 350 से अधिक लोग अपना देहदान संकल्प पत्र संस्था के साथ भर चुके हैं।

डेढ़ वर्ष पूर्व आशीर्वाद आनंदम, आरकेपुरम निवासी सहगल परिवार के तीनों बेटे योगेश, नागेश और राजेश सहगल और बहुएं कविता, प्रमिला, राजन की सहमति से माँ मंगला सहगल ने अपना देहदान संकल्प पत्र भरा था। उसी दिन योगेश चंद्र सहगल व कविता सहगल ने अपनी माँ के देहदान संकल्प से प्रेरित होकर अपना भी देहदान संकल्प पत्र शाइन इंडिया के साथ भर दिया था। सोमवार शाम मंगला सहगल ने अपनी अंतिम सांस ली। चिकित्सकों द्वारा मृत्यु की पुष्टि करते ही पुत्र योगेश ने तुरंत ही शाइन इंडिया फाउंडेशन को संपर्क कर माता मंगला के देहदान संकल्प को पूरा करवाने की इच्छा जताई। डॉ गौड़ ने तुरंत ही, चिकित्सकिय परीक्षण कर मंगला सहगल की देह को सुबह तक संरक्षित करने के दिशा निर्देश दिए और उसी समय नेत्रदान का कार्य संपन्न करवाया। मंगलवार सुबह 11 बजे, परिवार के सभी सदस्यों की सहमति से निवास स्थान से मंगला सहगल की अंतिम यात्रा सुधा मेडिकल कॉलेज में पहुंची, जहां के भावी चिकित्सकों ने दिवंगत मंगला सहगल की मृत देह पर पुष्प वर्षा और नमन कर उनकी मृत देह को मूक शिक्षक के रूप में स्वीकार किया। मेडिकल ऑफिसर विशाल जैन ने देह प्राप्ति के उपरांत शोकाकुल परिवार के सदस्यों को मेडिकल कॉलेज की ओर से प्रशस्ति पत्र भेंट किया।

राशिफल

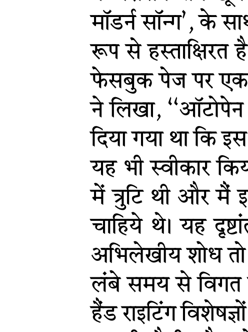

पंडित अनिल शर्मा

बुधवार 14 जनवरी, 2026

माघ मास, कृष्ण पक्ष, एकादशी तिथि, बुधवार, विक्रम संवत 2082, अनुराधा नक्षत्र रात्रि 3:04 तक, गंड योग सायं 7:56 तक, बालव करण सायं 5:53 तक, चन्द्रमा आज वृश्चिक राशि में संचार करेगा।

गृह स्थितिः सूर्य-धनु, चन्द्रमा-वृश्चिक, मंगल-धनु, बुध-धनु, गुरू-मिथुन, शुक्र-मकर, शनि-मीन, राहु-कुम्भ, केतु-सिंह

आज सर्वार्थ सिद्धि योग और अमृत सिद्धि योग सूर्योदय से रात्रि 3:04 तक है। राजयोग सायं 5:53 से रात्रि 3:04 तक है।

आज माघ संक्रांति, सूर्य मकर में प्रवेश दिन 3:07 पर करेगा। पुण्यकाल प्रातः 8:43 से सम्पूर्ण दिन रहेगा। आज षटतिला एकादशी व्रत, मकर संक्रांति पर्व, गंगा सागर स्नान और यात्रा है। आज धनु मल मास समाप्त होगा। आज पोंगल (द.भारत में) माघ बिहु है।

श्रेष्ठ चौघड़ियाः लाभ-अमृत सूर्योदय से 9:59 तक, शुभ 11:17 से 12:36 तक, चर 3:13 से 4:31 तक, लाभ 4:31 से सूर्यास्त तक।

राहूकालः 12:00 से 1:30 तक। सूर्योदय 7:21, सूर्यास्त 5:50

मेष
चन्द्रमा अष्टम भाव में शुभ नहीं है। शुभ-मांगलिक कार्यों में व्यवधान हो सकता है। आवश्यक कार्यों में विलम्ब हो सकता है। पारिवारिक कार्यों के कारण भागदौड़ रहेगी।

वृष
परिवार में आपसी सहयोग-समन्वय बना रहेगा। धार्मिक-मांगलिक कार्य सम्पन्न हो सकते हैं। परिवार में उत्सव जैसा माहौल रहेगा। व्यावसायिक/आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।

मिथुन
स्वास्थ्य संबंधित चिन्ता दूर होगी। अस्त-व्यस्त दिनचर्या में सुधार होगा। विवादित मामलों से राहत मिल सकती है। अटके हुए कार्य बनने लगेंगे।

कर्क
आर्थिक मामलों में परेशानी हो सकती है। धन हानि का भय है। अनावश्यक धन खर्च हो सकता है। व्यावसायिक कार्यों के कारण भागदौड़ रहेगी। मन में असंतोष बना रहेगा।

सिंह
घर-गृहस्थी के खर्चों में अनावश्यक वृद्धि हो सकती है। समय अनर्गल कार्यों में खराब हो सकता है। पारिवारिक कार्यों के कारण भागदौड़ रहेगी। खान-पान के कारण स्वास्थ्य खराब हो सकता है।

कन्या
परिवार में मन को प्रसन्न करने वाले संदेश प्राप्त होंगे। परिजनों के सहयोग से वर्तमान समस्या का समाधान हो सकता है। व्यावसायिक कार्यों में प्रगति होगी। परिवार में उत्सव जैसा माहौल रहेगा।

तुला
आर्थिक कारणों से अटके हुए कार्य बनने लगेंगे। अटका हुआ धन प्राप्त होगा। आय में वृद्धि होगी। व्यावसायिक कार्य योजना का क्रियान्वयन होगा। परिवार में मांगलिक कार्य सम्पन्न हो सकते हैं।

वृश्चिक
मानसिक तनाव से राहत मिलेगी। मनोबल-आत्मविश्वास बढ़ेगा। आवश्यक कार्य योजनानुसार बनने लगेंगे। व्यावसायिक कार्यों से संबंधित वार्ता सफल रहेगी।

धनु
घर-गृहस्थी के खर्चों में अनावश्यक वृद्धि हो सकती है। पारिवारिक कार्यों के कारण भागदौड़ रहेगी। आज अनर्गल कार्यों में समय खराब हो सकता है। मन में असंतोष बना रहेगा।

मकर
आर्थिक/वित्तीय मामलों के लिए दिन अच्छा रहेगा। आय में वृद्धि होगी। संभावित स्त्रोत से धन प्राप्त होगा। व्यावसायिक कार्यों में व्यस्तता बनी रहेगी। परिवार में धार्मिक कार्य सम्पन्न हो सकते हैं।

कुंभ
व्यावसायिक कार्यों को प्राथमिकता से करने का प्रयास करें। व्यावसायिक कार्य शीघ्रता/सुगमता से बनने लगेंगे। नवीन कार्य योजना का क्रियान्वयन होगा। आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।

मीन
व्यावसायिक कार्यों पर ध्यान देना ठीक रहेगा। व्यावसायिक कार्यों में उचित सफलता मिलेगी। चलते कार्यों में प्रगति होगी। आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी। परिवार में धार्मिक-मांगलिक कार्य सम्पन्न हो सकते हैं।